**के. रहमान ख़ां कार्यशीलता के एक नए कुरुक्षेत्र में - 2**

सच्चर समिति ने शिकायत की है कि संसद एंव विधान सभाओं के एसे चुनाव क्षेत्र जहां मुसलमानों का अनुपात बहुत अधिक है किन्तु अनुसूचित जातियों के लोग कम ही हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। इसके विपरीत उन्ही राज्यों में एसे अन्य वैकल्पिक चुनाव क्षेत्र भी मौजूद हैं जहां अनुसूचित जातियों के लोगों का अनुपात अधिक है तथा मुसलमान अनुपात में काफ़ी कम है किन्तु वे क्षेत्र अनूसूचित जातियों के लिए आरक्षित नहीं है। इस तरह मुसलमानों को दोहरा नुक़सान होता है। इस छल-नीति के चलते मुसलमान छः दशकों से अपनी बहुलता वाले चुनाव क्षेत्रों से भी मुस्लिम प्रतिनिधि चुनने से वंचित हैं। सच्चर समिति ने कहा कि यह नीति पूर्वाग्रह पर आधारित है। संसद तथा विधान सभाओं में मुस्लिम प्रतिनिधित्व कम होने का यही कारण है। अतः सच्चर समिति ने कहा कि केन्द्र सरकार इस मामले पर तुरन्त ध्यान दे तथा डीलिमिटेशन कमीशन (जो चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करता है) को निर्देश दे कि लम्बे समय से चली आ रही इस अनियमित्ता को दूर करे। किन्तु सरकार ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। रहमान ख़ां साहब से पूरी उम्मीद है कि वह इस बारे में सक्रियता दिखाएंगे। और इस सम्बंध में अपने प्रयासों की प्रगति तथा सामने आने वाली रुकावटों से भी मिल्लत को अवगत कराते रहेंगे।

सच्चर समिति की दो महत्तवपुर्ण सिफ़ारिशों - समान अवसर आयोग की स्थापना, और विविधता सूंचकांक के आधार पर प्रोत्साहन की योजना (Incentive Schemes based on Diversity Index) को व्यवहार में लाने के लिए उनका स्वरूप विक्सित करने के लिए केन्द्र सरकार ने पांच साल पहले विशेषज्ञों के दो अलग अलग ग्रूप बनाए थे जिन्हों इस पर खोजबीन तथा विचारों का आदान प्रदान करके बङी महनत से अपनी रिपोर्टें बना कर तीन साल पहले ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को दे दी थीं। किन्तु समझ में न आने वाली बात यह है कि इन रिपोर्टों पर सरकार ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। सरकार के रवैये से लगता यह है कि उसे समान अधिकार तथा विविधता को व्यवहार में लाने में तो रुचि कम है हां चुनाव की पूर्व संध्या पर एसी बातें करके गर्माहट लाने की चिंता ज़्यादा रहती है। हम यह कामना कर रहे हैं कि यह नकारात्मक कार्यशैली अब बदल जाए और इन दोनों महत्वपूर्ण सुझावों को सरकार अब व्यवहारिक रूप देदे। इस पर रहमान साहब को विशेष ध्यान देने के आवश्यकता है।

मदरसों में दीनी शिक्षा के साथ साइंस, कम्प्यूटर, सामाजिक विषय, गणित तथा अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए वित्तीय सहायत देने की स्कीम (SPQEM) की पूरी जानकारी मदरसों तथा मुसलमानो को देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हर साल 50 लाख रू. दिए जाते हैं। किन्तु सूचना के अधिकार क़ानून के अन्तर्गत जानकारी लेने पर पता चला कि तीन साल तक डेढ़ करोङ रू. प्राप्त करने के बावजूद मंत्रालय ने इस स्कीम का उर्दू में अनुवाद करने तथा इसे प्रकाशित करके इसका प्रचार करने में कोई रक़म ख़र्च नहीं की। होना यह चाहिए कि 20 पेज की इस स्कीम तथा आवेदन पत्र का उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाए तथा उस की डेढ़, दो लाख प्रतियां बनवाकर सभी मदरसों के प्रबंधकों के पास भेजी जाएं। अख़बारों, टीवी तथा रेडियो पर विज्ञापन आना चाहिएं। मार्च 2012 में दिल्ली की एक जनसभा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्कालीन मंत्री के सामने यह तथ्य रखे गए तो अगस्त में मंत्रालय ने एक सलाहकार समिति गठित कर दी। किन्तु समिति की एक भी मीटिंग की रूदाद आज तक मंत्रालय की वेबसाइट पर नहीं आई है।

सच्चर समिति ने यह भी कहा था कि मदरसों तथा एन.आई.ओ.एस व यूनिवर्सिटियों के बीच प्रमाण पत्रों तथा डिग्रिर्यों को स्वीकृति देने तथा समतुल्य बनाने (Equivalance) के लिए कोई तंत्र विक्सित किया जाए ताकि मदरसों के जो छात्र आम धारे की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेना चाहें उन्हें सुविधा हो। यह काम सी.बी.एस.ई. तथा यू.जी.सी के अधिकारियों को सौंपा गया था जहां यह मामला प्रारम्भिक चरणों के बाद ठिठक गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा यू.जी.सी की इस उदासीनता को दूर करने तथा उन्हें सक्रिय करने के लिए उम्मीद है कि रहमान साहब ज़रूर कुछ पहल क़दमी करेंगे।

जिन वक़्फ़ सम्पत्तियों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कार्यालय व आवास नाजायज़ रूप से बने हुए हैं उनके लिए पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने मुख्यमंत्रियों के नाम अपने 1976 के एक पत्र में लिखा था कि उन्हें या तो वक़्फ़ बोर्डों से चालू मार्कीट रेट पर विधिवत रूप से लीज़ पर लिया जाए तथा लीज़ के किराए का बचा हुआ पैसा भी भुगतान किया जाए, यदि एसा न हो सके तो वक़्फ़ सम्पत्तिया ख़ाली करके वक़फ़ बोर्डों को सौंप दी जाएं। इन्दिरा गांधी का वह पत्र सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया है कि यह अफ़सोस की बात है कि प्रधान मंत्री के इस निर्देश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वक्फ़ से सम्बंधित राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी ने 2011 में सिफ़ारिश की है कि उक्त निर्देश पर कार्रवाई के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए तथा वक़्फ़ क़ानून में इसका उल्लेख किया जाए। आशा की जाती है कि रहमान साहब सेलेक्ट कमेटी की यह सिफ़ारिश वक़्फ़ बिल 2010 के संशोधित मसौदे में शामिल करेंगे।

हम सब जानते हैं कि देश की नौकर शाही में मुसलमानों की भागीदारी उनके राष्ट्रीय अनुपात की अपेक्षा एक चौथाई या कहीं कहीं इससे भी कम है। रहमान साहब के मंत्राल में एक स्कीम है जिसका नाम है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ़्री कोचिंग स्कीम। इस स्कीम की शर्त यह है कि स्कीम का लाभ लेने वाली संस्था स्वंय कोचिंग दे। सिवल सर्विसिज़ में कामयाब होने के लिए एक परीक्षार्थी को 900 से अधिक परीक्षार्थियों को पीछे छोङना होता है। अतः सिविल सर्विसिज़ की कोचिंग देने के लिए इस मैदान का लम्बा अनुभव तथा परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के हर साल बदल जाने वाले ढंग तथा बारीकियों पर लगातार पैनी नज़र रखने की आवश्यकता होती है। यह एक बहुत ही विशेषज्ञतापूर्ण सेवा है। यह कला एंव विशेषज्ञता व्यवसायिक संस्थाओं के पास ही हो सकती है न कि हर एन.जी.ओ. या संस्था के पास। यही कारण है कि सिविल सर्विस से सम्बंधित इस मंत्रालय की यह स्कीम अभी तक असफ़ल रही है। स्कीम में बदलाव की आवश्यकता है। आवेदन करने वाली एन.जी.ओज़ को यह अनुमति होनी चाहिए कि यदि वे चाहें तो अपने चयनित परीक्षार्थियों को व्यवसायिक दक्षता वाले प्राइवेट कोचिंग सेण्टरों में कोचिंग दिला सकती हैं। (संयोग से एसे सभी इन्स्टीट्यूट दिल्ली में ही हैं)। इस प्रक्रिया में सरकार की वित्तीय सहायता का उपयोग कितनी पार्दर्शिता, ईमानदारी तथा ज़िम्मेदारी से होता है इस पर नज़र रखना बेशक सरकार की ज़िम्मेदारी और अधिकार है। यह बदलाव स्कीम में हो जाए तो फिर देखिए कि प्रशासन में मुसलमानों की भागीदारी का नक़्शा क्या होता है। लेकिन इन सब के लिए मंत्रालय को अपने हिसाब से चलाने तथा मिल्लत के हित में काम करने में रुकावट बनने वाली शक्तियों पर नियंत्रण पाना ज़ूरूरी होगा।

मिल्लत यह समझती है कि रहमान साहब जैसे आत्मविश्वासी लोग केवल अल्लाह से डरते हैं। मिल्लत उनके संकल्प को अल्लामा इक़बाल के शेअर से समझती है।

**मैं ज़ुल्मत-ए-शब में ले के निकलुंगा अपने दरमांदा कारवां को**

**शरर फ़िशां होगी आह मेरी, नफ़स मेरा शोला बार होगा**

*मैं अपने लुटे पिटे क़ाफिले को रात के अन्धयारों में लेकर मंज़िल की तरफ़ निकलुंगा, इस अंधेरे में रोशनी मेरी भावनाओ की गर्मी तथा मेरे दिल में सुलगने वाली चिंगारियों से पैद होने वाली आग से होगी।*